# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

## कोर्स रिपोर्ट

## इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 10.07.2017 से 14.07.2017 तक "इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज" विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 05 पुलिस निरीक्षक एवं 11 उप निरीक्षक पुलिस कुल 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

Sitting Row L to R = Shaitan Singh, Teena Solanki, Neelima Agnihotri, **Rajeev Dasot, IPS (Addl DGP Cum Director)**, Anukriti Ujjainia Addl.S.P, Kalpana Bansiwal, Manish Charan,

Ist Row L to R = Mahendra Kumar Sharma, Arvind Bishnoi, Balveer Singh, Surendra Malik, Jagdish Siyag, Ramgilash Gurjar, Sunil Kumar Singh, Suresh Meel

IInd Row L to R = Jetha Ram, Abjeet Meena, Rajkumar, Gopal Chandel,

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री आर.एस.शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री शाकिर परवेज, रीजनल हैड़, एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड एवं बैंक फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सर्तकता), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आय से अधिक सम्पति के मामलों में अनुसंधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधों में विशेषज्ञों से प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् अनुसंधान में आगे बढने हेतु निर्देशित किया। श्री एम.एम.अत्रे, आई.जी.पी. (सेवानिवृत्त) ने धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग आदि अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुसंधान के दौरान ली जाने वाली साक्ष्य तथा ध्यान रखने योग्य बिन्दुओं के बारे में बताया। डॉ. सुमन राव, ए.पी.पी. आर.पी.ए. ने आर्थिक अपराधो के कानून, न्यायिक प्रक्रियाओ एवं जालसाजी एवं धोखा देना वाले केस को कोर्ट में किस प्रकार प्रस्तुत करें के बारे जानकारी दी। डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, आरपीए ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपना व्याख्यान दिया। श्री उमेश दीक्षित, सहायक जनरल मैनेजर, रिजर्व बैंक, जयपुर ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और यू.आई.बी. के द्वारा जमा की स्वीकृति निषेध

पर व्याख्यान दिया। श्री सिद्धार्थ डचलवाल, सहायक जनरल मैनेजर सेबी ने सुरक्षा बाजार की बुनियादी अवधारणा, सेबी द्वारा जाँच, प्रवर्तन, गैर कानूनी व्यापार और धन जुटाने की अवैध योजना पर व्याख्यान दिया। श्री गिरवर सिंह राठौड़, आर.टी.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा भूमि संबंधी विवादों के अनुसंधान के संबंध में व्याख्यान दिया गया। श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए. ने बी.पी.आर.एण्ड.डी. द्वारा तैयार की गयी फिल्म घरेलू हिंसा, जेण्डर संवेदनशीलता एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधो के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं प्रतिभागियो से विचार विमर्श किया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी., जयपुर ने सी.डी.आर. एनालिसिस एवं मोबाईल कॉल डिटेल इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। श्री सचिन शर्मा, सहायक प्रोफेसर, वी.आई.टी. विश्वविधालय एवं साईबर एक्सपर्ट ने इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों, बैंकिग एवं वित्तीय अपराधों के अनुसंधान के बारे में बताया। श्री दिलीप सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर.पी.ए., जयपुर ने आर्थिक अपराधों पर महत्वपूर्ण केस स्टडी, मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग के क्षेत्र में संगठित अपराधों के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री नीरज माथुर ने ऑन लाईन बैंकिग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराध को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री राजेन्द्र चौधरी, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए. ने आर्थिक अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण के बारे में बताया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, आर.पी.ए., जयपुर ने वर्तमान आर्थिक अपराध, साईबर अपराध एवं संगठित अपराध पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया। प्रत्येक कोर्स को फील्ड ओरियेन्टेड बनाने की आवश्यकता के साथ ही जीवन शैली में परिवर्तन कर पुलिस अधिकारी को चुस्त व स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर जोर दिया व प्रतिभागियो को प्रमाण-पत्र वितरित किये।